

प्रेषक,

सुनील कुमार वर्मा,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
मत्स्य विभाग
उत्तर प्रदेश लखनऊ

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 29 मई, 2026

विषय- निषाद राज बोट योजना के अन्तर्गत वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रु0 500.00 लाख के सापेक्ष रु0 250.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-314/नि0शा0/ नि0रा0बो0स0यो0/2026-27 दिनांक 18.05.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से निषादराज बोट योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-आय-व्ययक के अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 800- अन्य व्यय, 06- निषादराज बोट योजना, 27- सब्सिडी के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रु0 500.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रु0 499.76640 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-आय-व्ययक के अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 800- अन्य व्यय, 06- निषादराज बोट योजना, 27- सब्सिडी के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रु0 500.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रु0 250.00 लाख (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित दिशा- निर्देशों / गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

- (4) आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व महानिदेशक मतस्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा।
- (5) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
- (6) अवमुक्त धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा तक ही किया जायेगा।
- (7) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशसा में अनधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
- (7) वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वर्तन पर रखे जाने से पूर्व प्रशासकीय विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
- (8) जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
- (9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-81/दस-2026 दिनांक 28 मार्च 2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
- (10) निषादराज बोट योजना को प्रदेश में संचालित / क्रियान्वित किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 31.03.2023 द्वारा निर्गत दिशा- निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (11) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में 30प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 5- इस सम्बंध में होने वाला व्यय धनराशि रू0 250.00 लाख (रूपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 800- अन्य व्यय , 06- निषादराज बोट योजना, 27- सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

भवदीय

Digitally signed by
SUNIL KUMAR VERMA
Date: 29-05-2026
13:39:34

(सुनील कुमार वर्मा)

विशेष सचिव।

संख्या 31 /2026/879/ सत्रह-म-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय 30प्र0 प्रयागराज।
- (2) सम्बंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
- (3) मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
- (4) सम्बंधित कोषाधिकारी 30प्र0।
- (5) उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय 30प्र0।
- (6) वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय 30प्र0 लखनऊ।
- (7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ नियोजन अनु0-3
- (8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार वर्मा)
विशेष सचिव।